

प्रारूप - 36

परियोजना का नामः— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-8 अन्तर्गत जामक ब्याणा से स्थावा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 6.00 किमी) हेतु सिविल सोयम भूमि एवं वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मानक शर्त मान्य होने का प्रमाण पत्र

संलग्न हैं।

सहायक अभियन्ता

पी.एम.जी.एस.वाइ., सिं.खं.
सहायक अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाइ०, सि०ख०,
उत्तरकाशी

प्रारूप

द्विशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाइ०
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाइ०, सि०ख०,
उत्तरकाशी

मानक शर्तें:

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके उपयोग के वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि के उपयोग के बाल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम है तथा उसके अंतिरिक्त काई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की लाति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उपत विभाग को करना होगा, जिसके याक विभाग सहमत हैं।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाय गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरीय विभाग को काई आपत्ति नहीं होगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छ विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों का निःशुल्क जल वीं सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमियों का उपर्योग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग सरथा या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग का न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईमेट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सांगितेविद्या द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सांगितेविद्या के अंतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वत क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सांगितेविद्या द्वारा किया जायेगा कि अझवमार्ग बनाना अथवा वन भाँति को फेर बदल कर पकड़ा करना याचक विभाग के खंड से पर्याप्त न होना और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित निलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आलोचित होना जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग उपर्योग वन निगम अथवा और कोई उपर्युक्त प्रक्रिया जो वन विभाग द्वारा वन विभाग द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तान्तरण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य दद्य होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि पर पहुँचे जाने वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य एवं वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगन गुरु वानिकों क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन भूमि निधित्व है, इसी प्रकार बाज के बैडों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथारम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्मों को उड़ा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की सख्त संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आवृत्ति नियोग में पूर्ण संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पकड़ा करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय संबंधित है।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती हैं तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वारतविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्वर स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें याचक विभाग को मान्य हैं।

Aयवक **E**जमियन्ता,
सिंचाई खण्ड, लालिनीवि.
उत्तरकाशी

B...
आम आसी आमयन्ता
जमियन्ता आमयन्ता
सिंचाई खण्ड, लालिनीवि.
उत्तरकाशी